



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE  
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS  
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन-682009  
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in)

Control Room: 0484-2666422

E-mail: [commr@cochincustoms.nic.in](mailto:commr@cochincustoms.nic.in)

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No 56/ 2017

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति- दिनांक 23.11.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त- संबंधित।

**Sub: Customs Clearance Facilitation Committee–Minutes of the meeting held on 23.11.2017 — Reg.**

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 28वीं बैठक दिनांक 23.11.2017 को 11.15 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में श्री सुमित कुमार सीमाशुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

The 28<sup>th</sup> meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 11.15 a.m. on 23.11.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Sumit Kumar, Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : श्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present for the meeting S/Shri/Smt:

1. Amreeta Titus, Dy. Commissioner
2. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
3. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
4. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
5. M.S.Suresh, Asst. Commissioner
6. V A Moideen Naina, Assistant Commissioner
7. Bhuvanachandran P., Scientist E', NIC
8. A.L. Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
9. Baiju Daniel, Appraiser
10. V.Usha, Superintendent of Customs
11. Vijayan Pillai, Superintendent of Customs (P)

सीमाशुल्क के साथ कार्य करने वाली एजेंसियों/पणधारियों के प्रतिनिधि सर्वश्री/श्री:

Representatives of agencies/ stake holders interacting with Customs S/Shri:

1. Gautam Gupta, Cochin Port Trust

2. V.T.Jadhav, Textile Committee
3. Dr.Jesto George, FSSAI
4. S S Sidhu, Plant Quarantine
5. Sudha S Nair, Central Drugs Standards Control Organization

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और दिनांक 26.10.2017 को आयोजित सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति के कार्यवृत्त पर चर्चा की।

The Chair welcomed the members to the meeting and discussed the minutes of the CCFC meeting held on 26.10.2017.

### पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई **Action on Minutes of Last Meeting**

बिंदु सं.1: एफएसएसएआई द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिए गए मामलों की सूची पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

**Point No.1. Report on Action Taken Report on list of cases which have not been given NOC by FSSAI.**

श्री एस. वी. प्रकाश, सहायक आयुक्त ने कहा कि एफएसएसएआई द्वारा उल्लिखित अधिकतर मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट से उन्हें अवगत करवाया गया है। श्री जेस्टो जॉर्ज ने श्री प्रकाश को धन्यवाद दिया और छंटी हुई सूची प्रस्तुत की जिस पर अभी कार्रवाई करनी शेष है। श्री प्रकाश ने कहा कि शेष मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट शीघ्र देने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

Shri S V Prakash, Assistant Commissioner submitted that the Action Taken Report in respect of most of the cases pointed out by FSSAI has been communicated. Shri Jesto George thanked Shri Prakash and submitted the pruned down list for which the Action Taken Report was still pending. Shri Prakash stated that efforts will be made to give the action taken report of the remaining at the earliest.

*अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शेष मामलों का ब्यौरा शीघ्र दिया जाए।*

*The Chair stated that the details of remaining cases will be expedited.*

**कार्रवाई: सहा.आयुक्त (मूल्यनिरूपण) Action: AC (Appraising)**

बिंदु सं.2: “इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स/रीएजेंट्स” अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए औषध नियंत्रण को संदर्भित नहीं किया जाना - तकनीकी अधिकारी (औषध) ने सूचित किया कि CTH 38220090 के अंतर्गत आने वाले “इन विट्रो डायग्नोस्टिक किट्स/रीएजेंट्स” को पिछले एक महीने के दौरान औषध नियंत्रक को संदर्भित नहीं किया जा रहा है।

**Point No.2. “In Vitro Diagnostic Kits/Reagents” not being referred to Drugs Controller for NOC** – Technical Officer (Drugs) pointed out that “In Vitro

Diagnostic Kits/Reagents” falling under CTH 38220090 are not being referred to Drugs Controller for the past one month.

*अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मामले को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए प्रणाली महानिदेशालय, नई दिल्ली के ध्यान में लाया गया है।*

*The Chair stated that matter had been taken up with the Directorate of Systems, New Delhi to expedite the matter.*

**कार्रवाई : प्रणाली प्रबंधक Action: Systems Manager**

**बिंदु सं. 3 : एफएसएसएआई को अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए कम बिल संदर्भित किए जा रहे हैं-** श्री जेस्टो जोर्ज, एफएसएसएआई ने कहा कि एफएसएसएआई को संदर्भित किए जाने वाले बिलों की संख्या में काफी कमी आई है और यह भी कहा कि एफएसएसएआई के पास अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए लंबित कुछ आगम पत्रों को सीमाशुल्क द्वारा आउट ऑफ चार्ज दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए श्री भुवनचंद्रन से डाटा का अध्ययन करने का अनुरोध किया था।

**Point No. 3 - Less No. of Bills are being referred to FSSAI for NOC-** Shri Jesto George, FSSAI had stated that the number of Bills being referred to FSSAI has shown considerable reduction and had further stated that it has also come to notice that certain Bills of Entry pending in FSSAI for NOC have already been out of charged by Customs. The Chair had requested Shri Bhuvanachandran, NIC to study the data on what could be reasons.

*श्री भुवनचंद्रन, एनआईसी ने कहा कि अध्ययन और प्रणाली निदेशालय से की गई चर्चा के आधार पर, फाइल करने के बाद आगम पत्र सिंगल विंडो आरएमएस सर्वर में पहुंच जाते हैं और इसका आउटपुट तीन प्रकार का हो सकता है। पीजीए को एनओसी के लिए संदर्भित किया जाना, पीजीए के एनओसी से छूट और पीजीए को सूचित करना। उन्होंने आगे कहा कि एफएसएसएआई को संदर्भित किए जाने वाले मामलों में कमी कारण सिंगल विंडो आरएमएस द्वारा छूट दिया जाना हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पीजीए को भेजे गए आगम पत्रों को पीजीए द्वारा एनओसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है और इसे उपलब्ध दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आउट ऑफ चार्ज दिया जा सकता है।*

*Shri Bhuvanachandran, NIC stated that on a study and based on the discussions with Directorate of Sytems, Bills of Entry on filing move to Single Window RMS Server and the output could be of three types. Referral to PGA for NOC, Waiver for Referral to PGA and Information to PGA. He further added that lesser reference to FSSAI could be because of Waiver by Single Window RMS. He further stated that Bills of Entry sent to PGA for Information need not await NOC by PGA and can be out of charged based on documentary evidence available.*

**चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे**

**FRESH POINTS TAKEN FOR DISCUSSION**

**बिंदु सं.1 : डाटा एक्सचेंज अनुरोध** - श्री जेस्टो जॉर्ज, एफएसएसएआई ने अनुरोध किया कि फाइल किए गए और एफएसएसएआई को संदर्भित किए गए आगम पत्रों का विवरण उन्हें भी भेजा जाए ताकि कोई विसंगति हो, तो उन पर ध्यान दिया जा सके।

**Point No. 1 – Data Exchange Request** – Shri Jesto George, FSSAI requested that details of Bills of Entry filed and Referred to FSSAI may be communicated to them so that any discrepancies could be noticed.

*अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।*

*The Chair stated feasibility of such a report would be examined.*

**बिंदु सं.2 : डेलिवरी आदेश के बिना आवेदन** - श्री जेस्टो जॉर्ज, एफएसएसएआई ने कहा कि उन्हें डेलिवरी आदेश के बिना आवेदन प्राप्त हो रहे हैं और जानना चाहा कि क्या यह उचित है।

**Point No. 2 – Application without Delivery Order** – Shri Jesto George, FSSAI stated that applications are being received by them without Delivery Order and enquired whether that was proper.

*अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मूल डेलिवरी आदेशों को कारगो की जांच के समय नहीं बल्कि उचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा आउट ऑफ चार्ज देने के दौरान सत्यापित करने की आवश्यकता है।*

*The Chair stated that original delivery order needs to be verified only before the out of charge is granted by the proper officer of Customs and not during the examination of the cargo.*

**बिंदु सं.3 : वैध एफएसएसएआई लाईसेंस के बिना खाद्य पदार्थों का आयात**- श्री जेस्टो जॉर्ज, एफएसएसएआई ने कहा कि आयातक वैध एफएसएसएआई लाईसेंस के बिना कारगो ला रहे हैं और बाद में इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे निकासी में देरी होती है और जानना चाहा कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा सकती है।

**Point No.3 – Import of Food without valid FSSAI Licence** – Shri Jesto George, FSSAI stated that Importers are bringing in cargo without a valid FSSAI Licence and subsequently apply for the same. There was a delay in clearance because of this and enquired what can be done in this regard.

*अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एफएसएसएआई और अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व आयातक का है और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में हो रही देरी का सरकारी विभागों पर नहीं थोपा जा सकता है। श्री एस.वी. प्रकाश, सहायक आयुक्त ने कहा कि व्यापार सुविधा जारी करके व्यापार जगत को इस संबंध में सूचित किया जा चुका है।*

*The Chair stated that onus of compliance of FSSAI and other Rules and Regulations was on the Importer and delay in production of documents cannot be*

*attributed to Government Departments. Shri S V Prakash, Assistant Commissioner stated that Trade have been informed in this regard through issue of Trade Facility Notice.*

चर्चा के लिए और कोई मुद्दे नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सभी का धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in) के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए विषय, यदि कोई हों, तो 15 दिसंबर, 2017 को या इससे पहले भेज दें। इस संबंध में पूछताछ टेलीफोन नंबर 0484-2667040 पर या [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) / [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com) ईमेल पर की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website [www.cochincustoms.nic.in](http://www.cochincustoms.nic.in). Points for discussion, if any, may be communicated **on or before 15<sup>th</sup> December 2017**. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at [ccu@cochincustoms.gov.in](mailto:ccu@cochincustoms.gov.in) / [ccucochin@gmail.com](mailto:ccucochin@gmail.com).

Sd/-

(सुमित कुमार **Sumit Kumar**)  
आयुक्त **Commissioner**

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.

तारीख Dated: 28.09. 2017.

//अनुप्रमाणित **Attested**//

(विजयन पिल्लै **Vijayan Pillai**)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) **Supdt. of Customs (CCU)**

प्रस्तुत Submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
2. The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :Additional Commissioner/All D.Cs & A.Cs/All Members.